



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।



e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 7209864111

पत्रांक : 01/यो0ब0-03/2025-425

दिनांक : 14/07/26

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल/गुमला वन प्रमण्डल/खूँटी वन प्रमण्डल/सिमडेगा वन प्रमण्डल/लोहरदगा वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल/ दुमका वन प्रमण्डल/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ जामताड़ा वन प्रमण्डल/ गोड्डा वन प्रमण्डल/ पाकुड़ वन प्रमण्डल/लातेहार वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्सांस तथा वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु कुल ₹0 1307.10 लाख (तेरह करोड़ सात लाख दस हजार रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-32/2020-19/स्वी0 व0प0 दिनांक 16.10.2025 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-32/2020-60 TSP व0प0 दिनांक 07.07.2026।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल ₹0 1307.10 लाख (तेरह करोड़ सात लाख दस हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060179658010103	1157.03
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060179658010323	150.07
कुल :-		1307.10

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 एवं 2 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-3 एवं 4 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-5 पर द्रष्टव्य है।

(Signature)

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060179658010103 एवं 19S24060179658010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।
5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक होंगे,
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।
9. योजना के लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को प्रत्येक तीन माह पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवगत करायेंगे।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
11. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।
12. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।
14. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।
15. गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाए। यह राशि कोषागार में जमा की जाए। कंउम सामग्री का निष्पादन विविधत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाए। स्टॉक पंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।
16. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था की जायेगी :-
 - (i) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2023-24 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।
 - (ii) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाए।
 - (iii) विभागीय स्थापित Monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार Monitor भारत सरकार के पैट्रन पर योजना Monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।
17. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाए।

(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय JOHAR पोर्टल एवं विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाए

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(x) कंडिका-IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

18. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा।

(i) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

21. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक

16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

22. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

24. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-03/2025- 425 दिनांक- 14/07/26

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ संधाल परगना, दुमका/ उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ जमशेदपुर/ दुमका/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/जमशेदपुर/ दुमका/ देवघर/ मेदिनीनगर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/ पी0एम0यू0 सेल, कार्यालय-वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-03/2025- 425 दिनांक- 14/07/26

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, राँची/ गुमला/ खूँटी सिमडेगा/ लोहरदगा/ जमशेदपुर/ सरायकेला-खरसावां/चाईबासा/ दुमका/ साहेबगंज/ जामताड़ा/ गोड्डा/ पाकुड़/ लातेहार/गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

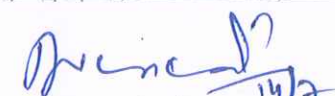
अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे०) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

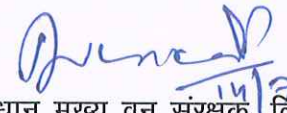
क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			17316.00	2263.00	19579.00
i	ii	iii	iv	v	vi
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल	215	37.23	4.87	42.10
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल	165	28.57	3.73	32.30
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल	60	10.39	1.36	11.75
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल	130	22.51	2.94	25.45
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल	325	56.28	7.35	63.63
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल	250	43.29	5.66	48.95
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल	500	86.58	11.32	97.90
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल	50	8.66	1.13	9.79
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल	50	8.66	1.13	9.79
10	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल	301	52.12	6.80	58.92
11	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल	50	8.66	1.13	9.79
12	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमण्डल	50	8.66	1.13	9.79
13	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल	190	32.90	4.30	37.20
14	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, सिमडेगा	170	29.43	3.85	33.28
15	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, आदित्यपुर	400	69.26	9.05	78.31
16	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, चाईबासा	400	69.26	9.05	78.31
17	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, दुमका	300	51.95	6.79	58.74
18	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, लातेहार	300	51.95	6.79	58.74
19	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, गढ़वा	50	8.66	1.13	9.79
योग :-		3956	685.02	89.51	774.53


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			28080.00	3603.16	31683.16
i	ii	iii	iv	v	vi
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल	204	57.28	7.35	64.63
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल	100	28.08	3.60	31.68
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल	280	78.62	10.09	88.71
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल	90	25.27	3.24	28.51
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल	65	18.25	2.34	20.59
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल	50	14.04	1.80	15.84
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल	212	59.53	7.64	67.17
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल	30	8.42	1.08	9.50
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, सिमडेगा	30	8.42	1.08	9.50
10	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, आदित्यपुर	220	61.78	7.93	69.71
11	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, चाईबासा	200	56.16	7.21	63.37
12	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, लातेहार	150	42.12	5.40	47.52
13	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, गढ़वा	50	14.04	1.80	15.84
योग :-		1681	472.01	60.56	532.57
सकल योग :-		5637	1157.03	150.07	1307.10


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 468.00 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	13	6084.00	400.00	6484.00	
2	वृक्षारोपण	हे०	22	10296.00	0.00	10296.00	
3	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे०	2	936.00	0.00	936.00	
4	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	1863.00	1863.00	
योग :-			37.00	17316.00	2263.00	19579.00	

नोट (1) अग्रिम कार्य आरम्भ करने के समय लागू दैनिक मजदूरी दर पर अग्रिम एवं समापन कार्य योजना की कुल लागत राशि का 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।

(2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा इस कारण मजदूरी मद में राशि की व्यय 20% से ज्यादा या कम हो सकता है।

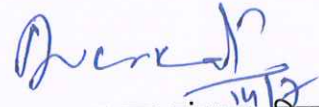
(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।

(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।

(7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी दर : 468.00 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	21.50	10062.00	666.40	10728.40	
2	वृक्षारोपण	हे०	36.50	17082.00	0.00	17082.00	
3	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे०	2.00	936.00	0.00	936.00	
4	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2936.76	2936.76	
	योग-		60.00	28080.00	3603.16	31683.16	

नोट (1) अग्रिम कार्य आरम्भ करने के समय लागू दैनिक मजदूरी दर पर अग्रिम एवं समापन कार्य योजना की कुल लागत राशि का 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।

(2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा

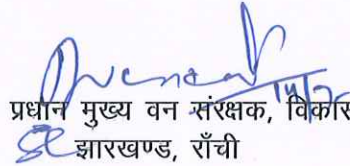
(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्रम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।

(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।

(7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-03/2025/425

दिनांक - 14-Jul-2026

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42606	DRNFWL013 SRIKANT VERMA DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी	9,451,000.00 रुपये चौरानवे लाख इकावन हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42608	GMLFOR001 AHMAD BELAL ANWAR D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	2,857,000.00 रुपये अठाइस लाख सत्तावन हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42610	RNCFORK01 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	3,847,000.00 रुपये अडतीस लाख सैतालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड इकसठ लाख पचपन हजार

16,155,000.00

क्रमिक योग:

(DESETTI VENKATESWARLU)

SADL PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42613	SDGFOR002 SHASHANK SHEKHAR SINGH DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदूरी	2,251,000.00 रुपये बाइस लाख इकावन हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42616	LDGFOR001 ABHISHEK KUMAR DIV.FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	5,628,000.00 रुपये छप्पन लाख अठाइस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42623	SKLFOR001 SHABA ALAM ANSARI I/C D.F.O.SERAIKELLA-KI ARSAWA 03 - मजदूरी	12,191,000.00 रुपये एक करोड इक्कीस लाख इनकानवे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड बासठ लाख पच्चीस हजार

20,070,000.00

क्रमिक योग:

36,225,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42625	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	11,185,000.00 रुपये एक करोड ग्यारह लाख पिचयासी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42629	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	2,691,000.00 रुपये छब्बीस लाख इनकानये हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42633	SBJFOR001 PRABAL GARG DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	2,270,000.00 रुपये बाइस लाख सत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये पाँच करोड तेइस लाख इकहत्तर हजार

16,146,000.00

क्रमिक योग:

52,371,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDI_PCCF DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42634	JMTFOR001 RAHUL KUMAR D.F.O. JAMTARA 03 - मजदूरी	11,165,000.00 रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख पैंसठ हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42636	GDDFOR164 WAGH PAVAN SHALIGRAM DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	1,708,000.00 रुपये सत्रह लाख आठ हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42638	PKRFOR001 SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	866,000.00 रुपये आठ लाख छह हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये छः करोड़ इकसठ लाख दस हजार

13,739,000.00

क्रमिक योग:

66,110,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDI-PCCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	42642	LTRFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदूरी	3,290,000.00 रुपये बत्तीस लाख नब्बे हजार
14	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	42647	SDGAIF002 AMARNATH BHAGAT DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदूरी	3,785,000.00 रुपये सैंतीस लाख पिचयासी हजार
15	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	42649	JSRFOR116 KULDEEP MEENA D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 03 - मजदूरी	13,104,000.00 रुपये एक करोड इकतीस लाख चार हजार

योग:

रुपये आठ करोड बासठ लाख नवासी हजार

20,179,000.00

क्रमिक योग:

86,289,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADIL PCCF DEV. I.HARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42654	SGHFOR001 ADITYA NARAYAN D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV. 03 - मजदूरी	12,542,000.00 रुपये एक करोड पच्चीस लाख वयालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42660	DMKFOR003 SOURAV CHANDRA D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	5,195,000.00 रुपये इकावन लाख पिनचानवे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42662	LTRFOR004 PRAWESH AGRAWAL D.F.O. S.F.D LATEHAF 03 - मजदूरी	9,407,000.00 रुपये चौरानवे लाख सात हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये ग्यारह करोड चौतीस लाख तैतीस हजार

27,144,000.00

क्रमिक योग:

113,433,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL PCCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42669	GRHFWL003 CHATURANAND TRIPATHI DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	2,270,000.00 रुपये बाइस लाख सत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42675	DRNFWL013 SRIKANT VERMA DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,222,000.00 रुपये बारह लाख बाइस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42677	GMLFOR001 AHMAD BELAL ANWAR D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	373,000.00 रुपये तीन लाख तीहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये ग्यारह करोड बहत्तर लाख अठानवे हजार

3,865,000.00

क्रमिक योग:

117,298,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADIL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42679	RNCFORK01 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	496,000.00 रुपये चार लाख छयानवे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42681	SDGFOR002 SHASHANK SHEKHAR SINGH DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	294,000.00 रुपये दो लाख चौरानवे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42682	LDGFOR001 ABHISHEK KUMAR DIV.FOREST OFFICE 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	735,000.00 रुपये सात लाख पैतीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये ग्यारह करोड अठयासी लाख तेइस हजार

1,525,000.00

क्रमिक योग:

(DESETTI VENKATESWARLU)

118,823,000.00

ADDI PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42686	SKLFOR001 SHABA ALAM ANSARI I/C D.F.O.SERAIKELLA-K ARSAWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,575,000.00 रुपये पंद्रह लाख पचहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
26	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42688	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,456,000.00 रुपये चौदह लाख छप्पन हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
27	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42690	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	347,000.00 रुपये तीन लाख सैतालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये बारह करोड बाइस लाख एक हजार

3,378,000.00

क्रमिक योग:

122,201,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDI PCCF DEV. HARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42695	SBJFOR001 PRABAL GARG DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	293,000.00 रुपये दो लाख तिरनावे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42697	JMTFOR001 RAHUL KUMAR D.F.O. JAMTARA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,444,000.00 रुपये चौदह लाख चवालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42698	GDDFOR164 WAGH PAVAN SHALIGRAM DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	221,000.00 रुपये दो लाख इक्कीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये बारह करोड इकतालीस लाख उनसठ हजार			1,958,000.00
क्रमिक योग:				124,159,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42699	PKRFOR001 SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	113,000.00 रुपये एक लाख तेरह हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
32	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42700	LTRFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO FOREST DIV LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	430,000.00 रुपये चार लाख तीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
33	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42702	SDGAIF002 AMARNATH BHAGAT DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	493,000.00 रुपये चार लाख तिरनावे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये बारह करोड इकावन लाख पिनचानवे हजार

1,036,000.00

क्रमिक योग:

125,195,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDITIONAL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	42704	JSRFOR116 KULDEEP MEENA D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,698,000.00 रुपये सोलह लाख अठानवे हजार
35	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	42705	SGHFOR001 ADITYA NARAYAN D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,626,000.00 रुपये सोलह लाख छब्बीस हजार
36	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	42706	DMKFOR003 SOURAV CHANDRA D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	679,000.00 रुपये छः लाख उन्नासी हजार

योग:

रुपये बारह करोड इनकानवे लाख अठानवे हजार

4,003,000.00

क्रमिक योग:

129,198,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDI PCCF DEV. HARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42708	LTRFOR004 PRAWESH AGRAWAL D.F.O. S.F.D LATEHAF 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,219,000.00 रुपये बारह लाख उन्नीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
38	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42710	GRHFWL003 CHATURANAND TRIPATHI DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	293,000.00 रुपये दो लाख तिरनावे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये तेरह करोड सात लाख दस हजार

1,512,000.00

क्रमिक योग: 130,710,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ABDI-PCCE DEV JHARKHAND